

1

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-8/गृहस्थल-04-04/2011-..... (8)/रा0, पटना-15, दि0-.....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र-पटेल पथ, पटना।

विषय - बिहार सम्पर्क सड़क निर्माण योजनान्तर्गत वर्ष-2014-15 में सम्पर्क पथ के निर्माण हेतु तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा 50,00,000/- (पचास लाख) रूपये प्रावधानित राशि विभिन्न जिलों द्वारा सम्पर्क सड़क योजना में निम्नवत कॉलम-3 में उल्लिखित अधियाचित राशि के आलोक में कॉलम-4 में उल्लेखित राशि व्यय की स्वीकृति।

आदेश - विभिन्न जिलों द्वारा की गयी अधियाचना के आलोक में सम्पर्क पथ के निर्माण हेतु कुल 50,00,000/- (पचास लाख रु0) मात्र व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. सम्पर्क सड़क योजना :-

क्र0	जिला का नाम	जिलों द्वारा अधियाचित राशि (रूपये लाख में)	2014-15 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि (रूपये लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	नालन्दा	3872147	3872147	पत्रांक-2991 दिनांक-15.12.14
2	सीवान	5236500	1127853	पत्रांक-13 दिनांक-08.01.15
	कुल-	9108647	5000000	

(पचास लाख रूपए) मात्र।

3. वित्त वर्ष 2014-15 में विपत्र कोड-P4047000500104 के अन्तर्गत 50,00,000/- (पचास लाख रु0) का प्रावधान तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा किया गया है।

4. सम्पर्क पथ योजना के लिए राशि की निकासी बजट मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं एवं पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-050-भूमि माँग संख्या-40, उप शीर्ष-0104-सड़क निर्माण हेतु भूमि का क्रय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) विपत्र कोड-P4047000500104 विषय शीर्ष 5302 भू-अर्जन तथा स्कीम कोड-REV 5539 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

क०प०उ०

5. राशि का व्यय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 (वि0) दिनांक-17.04.1998 तथा पत्रांक-6720(वि0) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में किया जायेगा।

6. राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
7. राशि की निकासी सम्बन्धित जिला के समाहर्ता द्वारा सम्बन्धित कोषागार से की जायेगी।
8. आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

ह0/-
(व्यास जी).
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-8/गृहस्थल-04-04/2011- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(व्यास जी).
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-8/गृहस्थल-04-04/2011- 386 (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-26/3/2015
प्रतिलिपि-प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण/समाहर्ता, नालंदा/समाहर्ता, सीवान/सम्बन्धित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/बजट शाखा-5, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3
(व्यास जी).
प्रधान सचिव।